कौमार्य परीक्षण अपमानजनक और अवैज्ञानिक है

अफसाना पठान

हाल ही में पूरे मध्य प्रदेश के साथ-साथ बैतूल ज़िले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 400 जोड़ों को विवाह सूत्र में बांधने का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के लड़के-लड़कियों का विवाह सरकारी खर्चे से कराया जाता है।

बैतूल ज़िले से खबर आई कि इस कन्यादान योजना के तहत विवाह करने की इच्छुक लड़कियों का सरकार द्वारा कौमार्य परीक्षण करवाया गया। यह निहायत ही अपमानजनक और घिनौना कदम है। कौमार्य परीक्षण न केवल महिलाओं को अपमानित करता है बल्कि उन्हें निचला दर्ज़ा भी देता है। कौमार्य को लेकर यह प्रथा आज के समय की नहीं है बल्कि प्राचीन काल में भी कौमार्य परीक्षण किए जाते थे। प्राचीन काल में भी स्त्रियों के कौमार्य को लेकर लोगों का काफी रुझान था।

उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका की कुछ जनजातियों में कौमार्य परीक्षण का काफी चलन था। दूसरे कई देशों में भी इस तरह के परीक्षण किए जाते थे। कौमार्य को लेकर समाज में कई प्रथाएं व्याप्त रही हैं। प्राचीन काल में कुछ संस्कृतियों में सभी कुंवारी लड़कियों को राजा के सामने नृत्य पेश करना होता था। यदि कोई लड़की कुंवारी नहीं पाई जाती तो उसके माता-पिता पर जुर्माना लगाया जाता था। कुछ समाजों में एक और प्रथा प्रचलित थी - शादी की पहली रात को सफेद चादर लगाई जाती थी और अगले दिन सुबह चादर पर खून के धब्बों को लड़की के कुंवारी होने के सबूत के तौर पर देखा जाता था।

आजकल का कौमार्य परीक्षण इसी का बदला हुआ रूप है।

प्राचीन काल में कौमार्य परीक्षण की एक वजह वंश वृद्धि और जायदाद से भी जुड़ी थी और दूसरी वजह लड़कियों को काबू करना और उन्हें हमेशा पुरुष से कमतर बताने की भी रही थी। इसलिए इस तरह के परीक्षण करवाए जाते थे कि लड़कियां लड़कों से दूर रहें और शादी से पहले यौन सम्बंध न बनाए। कई धर्मों में शादी से पहले यौन सम्बंधों को पाप कहा गया है। धर्म का वास्ता देकर लड़कियों को दबाना और उन्हें अपनी यौनिकता की अभिव्यक्ति न करने देना और कौमार्य परीक्षण का डर बताकर उन्हें आवाज़ न उठाने देना भी समाज का मकसद था।

लेकिन वक्त के साथ-साथ कौमार्य परीक्षण पर रोक लगी और कई देशों में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन समाज में आज भी इस बात पर काफी ज़ोर है कि शादी से पहले लड़की कुंवारी हो।

अब हम बात करते हैं कि यह कौमार्य अवस्था और कौमार्य परीक्षण है क्या। इसे कैसे किया जाता है और यह क्या दर्शाता है?

कौमार्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति द्वारा कभी संभोग न किया गया हो। इस दृष्टि से देखें तो यह महज़ एक शारीरिक मसला है। मगर सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अविवाहित होना और कुंवारी होना एक ही बात मानी जाती है। यानी यौन सम्बंधों की अनुमति (कम से कम महिलाओं के लिए) सिर्फ विवाह के बाद और विवाह के अंतर्गत ही होती है। धार्मिक रूप में इसे यौन संयम के तौर पर देखा जाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कौमार्य को वंश

वृद्धि के नज़रिए से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिला को सिर्फ वैवाहिक साथी के साथ ही यौन सम्बंध बनाना चाहिए तभी तो वह उसी व्यक्ति का वंश बढ़ाएगी जिससे उसका विवाह हुआ है। यह मुद्दा जाति और जायदाद से जुड़ा है। इस सोच के चलते कौमार्य परीक्षण का सिलसिला शुरू हुआ। जाति और वंश का पुरुष द्वारा नियंत्रण तो महिलाओं की लैंगिकता को नियंत्रित करके ही संभव है।

कौमार्य परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जांचा जाता है कि महिला की हायमन यानी योनिद्वार की झिल्ली सही सलामत है या नहीं। यदि झिल्ली सलामत है तो महिला कुंवारी है और यदि नहीं है तो वह कुंवारी नहीं है। इसके पीछे एक धारणा यह है कि हायमन केवल संभोग के दौरान ही क्षतिग्रस्त होती है। दूसरी धारणा है कि संभोग के दौरान हायमन निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। दोनों ही धारणाएं गलत हैं।

हायमन एक मोटी परत होती है जो योनि द्वार के बाहर स्थित होती है जो योनि को पूरी तरह से न ढंककर केवल उसके आसपास स्थित होती है। हायमन लचीली और आसानी से फटने वाली होती है।

एक अन्य किस्म का कौमार्य परीक्षण किसी महिला डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई के द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट को टू फिंगर टेस्ट यानी दो-उंगली परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में उंगलियों की मदद से योनि की मासंपेशियों की शिथिलता का पता लगाया जाता है।

हायमन की अनुपस्थिति और योनि की मांसपेशियों में शिथिलता के कई और कारण भी हो सकते हैं। जैसे - नियमित रूप से सायकिल चलाना, खेलना-कूदना, किसी नुकीली वस्तु से योनि में चोट लगना, योनि में टैम्पन (रक्त स्राव सोखने वाला साधन जिसका उपयोग मासिक स्राव के दौरान किया जाता है) लगाना, बलात्कार व अनैच्छिक सेक्स, दुर्घटना इत्यादि। इसलिए हायमन की सलामती के आधार पर कौमार्य का निर्धारण करना अवैज्ञानिक है।

दूसरी ओर, दो-उंगली परीक्षण घोर व्यक्तिपरक अवलोकन है। इस परीक्षण की उपयोगिता पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं और इसे विश्वसनीय नहीं माना गया है।

जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि हायमन केवल संभोग क्रिया के कारण नहीं फटती है, बल्कि उसकी दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। इसके अलावा एक सत्य और भी है कि कुछ महिलाओं में हायमन मौजूद ही नहीं होती है। कुछ दुर्लभ मामलों में हायमन को सर्जरी के द्वारा खोला जाता है जिसे हायमनोटॉमी कहते हैं।

बलात्कार के मामले में भी महिलाओं का दो-उंगली परीक्षण किया जाता है। यह पता लगाने के लिए नहीं कि हायमन क्षतिग्रस्त हुई है या नहीं, बल्कि इस परीक्षण से योनि की मासंपेशियों की शिथिलता का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण से महिलाओं के चरित्र/आचरण को चुनौती दी जाती है, जो कि बहुत ही अपमानजनक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में इस परीक्षण पर रोक लगा दी है जो बहुत ही सराहनीय कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया लेकिन अब हमारी केंद्र और राज्य सरकारों को भी फैसला करना चाहिए कि कौमार्य परीक्षण को पूरी तरह प्रतिबंधित करे न कि उसे बढ़ावा दे।
(स्रोत फीचर्स)

वर्ग पहेली 107 का हल

ओ	ज़ो	न		ब			की	प
स		क्ष		स	र	प	ट	
	मा	त्र	क			त		मा
मा			छा			वा	म	न
न		दू	र	सं	चा	र		सि
सू	अ	र			व			क
न		बी			ल	ह	र	
	गु	न	गु	ना		ब		प्रा
सु	प्त			भि		ल	व	ण